न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद बनाम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट 1956

प्रकरण संख्या : – 110 / 2025

–: आदेश :– दिनांक :– 8/7/25

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, तहसील नसीराबाद द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम नया गांव, पटवार हल्का नया गांव की आराजी पर मौके पर चालू कदीमी ग्रेवल रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया गया। आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :–

जमाबंदी की स्थिति					रास्ते हेतु ली जाने वाली भूमि			
क्र. स.	नाम खातेंदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	उगमा पुत्र देवा वगै.	2460	0.05	चाही 2	उगमा पुत्र देवा वगै.	2460/1	0.02	गै.मु. रास्ता
2.	उगमा पुत्र देवा वगै	2461	0.20	चाही 2	उगमा पुत्र देवा वगै	2461/1	0.05	गै.मु. रास्ता
3	मेवा पुत्र नाथू	2473	0.16	चाही 2	मेवा पुत्र नाथू	2473/1	0.04	गै.मु. रास्ता
4	उगमा पुत्र देवा वगै	2474	0.08	चाही 2	उगमा पुत्र देवा वगै	2474/1	0.015	गै.मु. रास्ता
5	उगमा पुत्र देवा वगै	2453	0.19	चाही 2	उगमा पुत्र देवा वगै	2453/1	0.025	गै.मु. रास्ता
	हजारी पुत्र घीसा	2369	0.05	चाही 3	हजारी पुत्र घीसा	2369/1	0.01	गै.मु. रास्ता
6	राज. सरकार	2370	0.01	चाही 2	राज. सरकार	2370	0.01	गै.मु. रास्ता
7	राज. सरकार	2373	0.42	बा.3	राज. सरकार	2373/1	0.10	गै.मु. रास्ता
8	रामकरण पुत्र हजारी वगै.	2375	0.08	बा.3	रामकरण पुत्र हजारी वगै.	2375/1	0.01	गै.मु. रास्ता
	रामकरण पुत्र हजारी वगै.	2377	0.06	बा.3	रामकरण पुत्र हजारी वगै.	2377/1	0.01	
	गोविन्द पुत्र हेमा	2378	0.41	बा.3	गोविन्द पुत्र [illegible]	2378/1	0.05	
	राज. सरकार	2379	0.16	बा.[illegible]	[illegible] सरकार	2379/1	0.02	गै.मु. रास्ता
9	राज. सरकार	2336	[illegible]	[illegible]	[illegible]ज. सरकार	2336	[illegible].05	गै.मु. रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

	रामकरण पुत्र हजारी	2380	0.96	बा. 3	रामकरण पुत्र हजारी	2380/1	0.05	गै.मु. रास्ता
	राज. सरकार	2335	0.13	बा. 3	राज. सरकार	2335/1	0.03	गै.मु. रास्ता
10	आम्बा पुत्र जवारा वगै.	186	0.05	बा. 3	आम्बा पुत्र जवारा वगै.	186	0.05	गै.मु. रास्ता
11	सांवरा पुत्र श्रवण	185	0.04	बा. 3	सांवरा पुत्र श्रवण	185	0.04	गै.मु. रास्ता
12	रामदेव पुत्र नाथू	181	0.61	बा. 3	रामदेव पुत्र नाथू	181/1	0.05	गै.मु. रास्ता

प्रार्थना पत्र में रास्ता ख0न0 2460 से 181 तक जाना बताया है। तहसीलदार, तहसील नसीराबाद के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी रिपोर्ट, फर्द रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये गये है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रस्तावित आराजी मे मौके पर रास्ता चालू है तथा प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक आम रास्ते के उपयोग में आ रहा है। तथा उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के लिये पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार के द्वारा अभिशंषा की गई है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 एवं राज0 भू–राजस्व(भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में भूमि को राजस्व रिकार्ड में किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है।

निर्णय से पूर्व संबंधित विधि प्रावधानों को देखा जाना आवश्यक है। भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 जो कि राजस्व रिकार्ड के नक्शा एवं सर्वेक्षण पुस्तिका के संधारण से संबंधित है, में अभिलिखित किया गया है कि:– **Maintenance of Map and Field Book**– After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Record Officer, in accordance with the rules made by the State Govemment in the behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Govemment may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

इसी प्रकार भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 132 का भी अवलोकन किया गया। उक्त धारा जो कि वार्षिक रजिस्टर संधारण से संबंधित है में अभिलिखित किया गया है कि:– **Annual Registers** –(1) The Land Records Officers shall maintain the record of rights and for that purpose shall, annually or at such longer intervals as the State Govemment may prescribe, cause to be prepared a set or an amended set, as the case may be, of the registers enumerated in Section 114 and the registers so prepared shall be called the annual registers. इस प्रकार भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 132 में उपलब्ध प्रावधानों अर्थात Maintenance of Map and Field Book (नक्शा ट्रेस) एवं Annual Registers – the record of rights (जमाबंदी) में मौके की स्थिति के अनुरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:58 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राजस्व रिकॉर्ड यथा नक्शा ट्रेस एवं रिकार्डस ऑफ राईटस अर्थात जमाबंदी में परिवर्तन हेतु Land record officer अर्थात उपखण्ड अधिकारी को शक्तियाँ दी गयी है।

निर्णय पारित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की जानकारी बाबत तहसीलदार जो कि भूमि धारक होता है, से प्राप्त रिपोर्ट पर चिंतन, मनन किया एवं अवलोकन पश्चात यह न्यायिक चिंतन, मनन एवं निष्कर्ष हुआ कि उक्त रास्ता भूमि धारक द्वारा देखा जाकर रिपोर्ट की है कि उक्त खसरा नंबरान से कदीमी रास्ता सार्वजनिक आवागमन बाबत उपयोग एवं उपभोग में लिया जा रहा है तथा उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 132 जिसके तहत भू–अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) को उक्त आशय के संशोधन की शक्तियाँ प्रदत्त की गयी हैं, का उपयोग करते हुये तहसीलदार रिपोर्ट में उल्लेखित खसरा नंबरान, मौका रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक उपयोग, उपभोग कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत तहसीलदार को आदेशित करना न्यायोचित समझते है। इस स्तर पर यह भी उल्लेखित किया जाता है कि संबंधित काश्तकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, इस संबंध में न्यायालय का मत है कि उक्त खसरा नंबरान से ग्रामवासियों द्वारा कदीमी रास्ते का आवागमन बाबत उपयोग में काफी वर्षो से लिया जा रहा है तथा उक्त रास्ते के प्रचलन की संबंधित काश्तकारों को प्रारंभ से ही जानकारी रही होगी। अतः उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा –ट्रेस में अंकन मात्र से उनके हितो पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा।

–:: आदेश ::–

अतः विधि के प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार, तहसील नसीराबाद की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम व पटवार हल्का नया गांव की आराजी उपरोक्त तालिका अनुसार राजस्व रिकार्ड में किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक आदेश एवं प्रस्ताविक नजरी नक्शा रास्ते की नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन की जावें। उक्त आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेगा–

1.राजकीय भूमि पर स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप खसरा नंबर सहित दर्ज किया जायेगा।

2. निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी रास्ता सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदरी में ही रहेगा परंतु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नंबर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जायेगा। बैंक रहन का इन्द्रगाज पूर्व अनुसार ही रहेगा।

3. यदि किसी दीगर न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद की कार्यवाही की जावें।

4. यदि किसी प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि/खसरा नंबरान का उक्त प्रस्ताव/आदेश में अंकन हो गया हो तो राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नही करें।

तहसीलदार, तहसील नसीराबाद को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे एवं दर्ज नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:58 IST
Reason: SelfAttested